RUSA Sanction Letter for Grant

Under Component 7

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 431 / रूसा / 2017 / 97/cc/38 दिनांक 24/03/2017

प्रति,

आयुक्त / परियोजना संचालक,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
उच्च शिक्षा विभाग,
सतपुडा, भोपाल

विषय :- रूसा कम्पोनेंट 7 — महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास अनुदान अंतर्गत स्वीकृत राशि से विभिन्न निर्माण कार्यो, उन्नयन एवं क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- 1. पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014-U Policy (MP Multi-GEN)Government of India Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education (U.Policy Section) dated 22nd August 2016.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रूसा कम्पोनेंट 7 — महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास अनुदान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना मानसंख्या - 44, 64 एवं 41 के अंतर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन उपरांत तथा प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में उनके नाम के समक्ष निम्नानुसार कार्यो, उन्नयन, क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	जिला	नवीन निर्माण कार्य का विवरण	उन्नयन कार्य का विवरण	इक्विपमेंट एंड फेसेलिटिस	MHRD द्वारा अनुमोदित राशि रूपये लाख में	प्राक्कलन राशि रूपये लाख में (सिविल वर्क)	तकनीकी स्वीकृति की राशि रूपये लाख में	उपकरण रूपये लाख में (30%)
1	शासकीय चन्द्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सीहोर	4 क्लासरूम एवं 1-1 प्रसाधन बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जिनमें 6 यूरिनल और 2 WC का प्रावधान है, 1 सेप्टिक टैंक का निर्माण प्रस्तावित है।	जूलॉजी लैब एवं म्यूजियम 283-20 वर्ग मीटर जूलॉजी ऑफिस-33.64 वर्ग मीटर, क्लासरूम-91.69 वर्ग मीटर,लाइब्रेरी-317.44 वर्ग मीटर, प्रसाधन ,एक्जामिनेशन हॉल-339.57 वर्ग मीटर एवं इलेक्ट्रिकल कार्य भौतिकी, रसायन, जूलॉजी, कंप्यूटर प्रयोगशाला का कार्य।	कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ यूपीएस,लैंग्वेज लैब,स्मार्ट क्लास रूम , cctv	200.00	140.10	140.00	60.00
2	शासकीय माधव साइंस महाविद्यालय	उज्जैन	बायोटेक्नोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भूतल पर 1 गर्ल्स रूम, 1 टेक्चर रूम 1 इक्विपमेंट रूम 1 टिशू कल्चर प्रयोगशाला,1 स्टाफ रूम,1 फ्रायर रूम [illegible] तल पर 2 स्टाफ रूम 2 प्रयोगशाला, 2 लेक्चर रूम 1 गर्ल्स रूम, 1 टिशू कल्चर प्रयोगशाला 2 [illegible] रूम 2 प्रसाधन का कार्य।	प्रथम तल पर 2 भौतिकी प्रयोगशाला, 2 जूलॉजी प्रयोगशाला 1 डार्क रूम, 2 रसायन शास्त्र प्रयोगशाला , 1 स्टाफ रूम 2 क्लासरूम एवं प्रसाधन का कार्य।	कंप्यूटर प्रयोगशाला ,ई- लाइब्रेरी ,स्मार्ट क्लास रूम	200.00	150.43	140.00	60.00
3	शासकीय कन्या महाविद्यालय	विदिशा	दो क्लासरूम-प्रत्येक -150 वर्ग मीटर एवं प्रसाधन - 19 वर्ग मीटर का कार्य।	अकेडमिक बिल्डींग के अंतर्गत लाइब्रेरी -183 वर्ग मीटर कंप्यूटर प्रयोगशाला - 148 वर्ग मीटर क्लास रूम [illegible]	कंप्यूटर प्रयोगशाला ,स्मार्ट क्लास रूम cctv ,बास्केटबॉल ग्राउंड ,GYM	200.00	145.02	140.00	60.00

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

			वर्ग मीटरएवं 1-1 बॉयज & गर्ल्स प्रसाधन का कार्य।	इक्विपमेंट ,इ-जर्नल्स/ इ- रिसोर्सेज, बुक्स				
[illegible] स्नातकोत्तर महाविद्यालय, [illegible]	[illegible]	प्रयोगशाला के विस्तार के अंतर्गत 1 रसायन, 1 भौतिकी, 1 जनरल के साथ प्रत्येक प्रयोगशाला में एक अतिरिक्त कक्ष का प्रावधान है, 1-1 बॉयज & गर्ल्स प्रसाधन का कार्य किया गया है।	प्रथम तल पर कम्प्यूटर प्रयोगशाला के साथ एक अतिरिक्त कक्ष-309.25 वर्ग मीटर, 1-1 बॉयज & गर्ल्स प्रसाधन का कार्य।	कम्प्यूटर प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब,स्मार्ट क्लास रूम cctv ,बुक्स, इ-जर्नल्स/ इ-रिसोर्सेज, खेलकूद सामग्री	200.00	140.61	140.00	60.00
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,	सतना	कम्प्यूटर रूम-88.20 वर्ग मीटर, लाइब्रेरी-108 वर्ग मीटर, 3 क्लासरूम-295.28 वर्ग मीटर	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डीग के अंतर्गत 2 हॉल टाइप कक्ष-187.20 वर्ग मीटर का कार्य।	कम्प्यूटर प्रयोगशाला ,खेलकूद सामग्री, ,लैंग्वेज लैब,स्मार्ट क्लास रूम,इ-जर्नल्स/ इ-रिसोर्सेज	200.00	154.00	140.00	60.00
शासकीय चन्द्रविजय म[illegible]लय	डिण्डोरी	चार क्लासरूम, 1 प्रयोगशाला, 1-1 बॉयज & गर्ल्स प्रसाधन का कार्य।	लाइब्रेरी के विस्तार के साथ 2 रीडिंग रूम का कार्य।	कम्प्यूटर प्रयोगशाला ,स्मार्ट क्लास रूम, खेलकूद सामग्री, बुक्स,इ-जर्नल्स/ इ-रिसोर्सेज, cctv ,भौतिकी प्रयोगशाला उपकरण	200.00	152.00	140.00	60.00
शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय	छतरपुर	हॉल टाइप क्लासरूम -312 वर्ग मीटरएवं 1-1 बॉयज & गर्ल्स प्रसाधन -14.08 वर्ग मीटर का कार्य।	जूलॉजी लैब का विस्तार 321.52 वर्ग मीटर ।	कम्प्यूटर प्रयोगशाला ,स्मार्ट क्लास रूम, खेलकूद सामग्री, बुक्स,इ-जर्नल्स/ इ-रिसोर्सेज, cctv ,	200.00	140.00	140.00	60.00

(2) स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. व्यय वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जाये।
2. राशि का आहरण एवं व्यय 31 मार्च 2017 के पूर्व किया जाना है। अतः कृपया तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. महाविद्यालयों के द्वारा अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास हेतु कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्रस्ताव/प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जावे।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मानदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। कम्पोनेंट– 7 अधोसंरचना विकास अंतर्गत कुल अनुमोदित अनुदान राशि का 35 प्रतिशत राशि नवीन निर्माण कार्य, 35 प्रतिशत उन्नयन कार्य एवं 30 प्रतिशत राशि का उपयोग उपकरण आदि में प्राक्कलन अनुसार व्यय किया जाना है।
5. व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों, मध्यप्रदेश वित्त संहिता के नियमों का कडाई से पालन एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. सामग्री का क्रय प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नवीन म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के पालनार्थ सुनिश्चित किया जावे।
7. व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र माह अप्रैल–2017 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

8. मितव्ययता का ध्यान रखे एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
9. किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
10. निर्देशानुसार क्रय प्रक्रिया समय–सीमा में संपादित कर राशि का उपयोगित प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करें। जिसे समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जा सकें। इसके उपरांत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से द्वितीय किस्त जारी की जावेगी।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक 432/रूसा/2017/97/cc/38 दिनांक 26/03/2017

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
7. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. सहायक संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
10. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

(फोन नं. 0755–2761320, 2557457)
ई मेल rusamphe@gmail.com

क्रमांक 543/रूसा/2018 दिनांक 28/06/2018

प्रति

प्राचार्य
शासकीय माधव साइंस महाविद्यालय, उज्जैन

विषय– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, के कम्पोनेंट 07 के अंतर्गत राशि का प्रदाय।

विषयांतर्गत आपके संस्थान को अधोसंरचना विकास अनुदान हेतु पूर्व मे जारी प्रशासकीय स्वीकृति के तहत शेष राशि का निम्न विवरण का चेक रूसा के बैंक खाते मे जमा करने हेतु संबंधित बैंक को प्रेषित किया जा रहा है। कृपया राशि जमा की पुष्टि करें। विसंगति की स्थिति मे तत्काल इस कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से अवगत करावें।

कृपया राशि का उपयोग, निर्धारित माप दण्डों अनुसार निर्धारित नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी वीत्तीय अधिकार की पुस्तिका में उल्लेखित अधिकारों के तहत सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 तथा समय–समय पर जारी शासन आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुये करें तथा निर्धारित प्रपत्र में राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र इस कार्यालय को भेजें।

NAME OF COLLEGE	CHEQUE AMOUNT	CHEQUE NO. of Central Bank Of India Arera Hills Bhopal	Account Number of Cenra Bankof Concern College
1	2	3	4
शासकीय माधव साइंस महाविद्यालय, उज्जैन	50,00,000 (रु. पचास लाख मात्र)	069342	5085101001192
	(रु. पचास लाख मात्र)		

राशि का व्यय निम्नांकित बिन्दुओं एवं निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करते हुए किया जावे।

(क) महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास एवं निर्माण कार्य हेतु दी गई प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (70:30) प्रतिशत मे निर्माण कार्य हेतु 70 प्रतिशत एवं सामग्री क्रय हेतु 30 प्रतिशत मे व्यय किये जाने के निर्देश के साथ प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। अतः प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति के अनुपात में ही निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय पर व्यय की जावे।

(ख) महाविद्यालय में अधोसंरचना विकास एवं निर्माण कार्य कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये है। प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। उन्नयन निमार्ण कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(ग) निम्नांकित निर्माण कार्य का अवलोकन/अनुमोदन महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति से भी कराया जावे।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(घ) उन्नयन कार्यो के अंतर्गत केवल विद्यार्थियों की सुविधायें बढाने के कार्य हेतु ही व्यय किया जावे। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का सौन्दर्यकरण का कार्य नहीं किया जावे।

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मापदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें।

(च) प्रदायित राशि को व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, (रूसा) भोपाल के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों और परिपत्रों में निहित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

(छ) महाविद्यालय में अधोसंरचना विकास एवं निर्माण कार्य कार्यों में लगने वाली आवश्यक सामग्रीयों का क्रय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं भण्डार क्रय नियमों एवं म. प्र. भण्डार उपार्जन नियम 2015 के अधीन ही किया जावे। सामग्री के क्रय हेतु संबंधित क्षेत्र के अपर संचालक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया जावे।

(ज) व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का समय–समय पर परीक्षण कर परीक्षण प्रमाण पत्र अभिलेखों में सुरक्षित रखा जावे। उक्त परीक्षण प्रमाण पत्रों को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ एक–एक छाया प्रतियां इस कार्यालय को भी अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(झ) मितव्ययता का ध्यान रखे एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे ।

(य) प्रदायित राशि का उपयोग विषयांकित कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यों मे नही किया जावे और न ही किसी भी कार्य हेतु अग्रिम स्वरूप राशि प्रदान की जावे।

(र) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय तथा संबंधित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी की होगी ।

उप परियोजना संचालक
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा

क्रमांक 544/रूसा/2018 दिनांक 28/06/2018

प्रतिलिपि:–

1. शाखा प्रबंधक केनरा बैंक की ओर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त खाता क्रमांक एवं नाम की पुष्टि करतें हुए विश्व विद्यालय/महाविद्यालय के रूसा के निर्धारित खातें में उक्त राशि शीघ्रातिशीघ्र जमा कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
2. अपर संचालक .... /कुल सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अधीक्षण यंत्री रूसा की ओर प्रेषित कर लेख है कि संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/पीआईयू को अब तक दी गई राशि, उनके द्वारा उपयोग की गई राशि पूर्ण स्थिति के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष राशि की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. वित्त नियंत्रक /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, रूसा/समस्त सलाहकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबधित नस्ती /लेखा शाखा

उप परियोजना संचालक
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,